न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 16/2025

अनवान : —

1. किरताराम पुत्र हेमाराम जाति सुथार निवासी चक चिड़ियागांधी हाल वीड भादरा तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री किशनलाल यादव प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 17/5/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता सं0 16/51 की कुल 6.2740है0 में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 2091/6274 हिस्सा व इसी खाता के खाता सं0 101/50 की 8.6062है में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 1687/8602 हिस्सा व रोही चक 3 डीपीएन के खाता सं0 16/97 की 4.1494है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा व रोही चक 4 डीपीएन के खाता सं0 113/105 की 3.2890है0 में किरता पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा व रोही चक 5 बीएचडी के खाता सं0 70/52 की कुल 3.1630है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है उक्त सभी खातों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का सही नाम किरताराम पुत्र हेमाराम राम के स्थान पर अशुद नाम दलीप किरता पुत्र हेमा, किरताराम पुत्र हेमराज व किरताराम पुत्र हेमा दर्ज है

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम किरताराम पुत्र हेमाराम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:52:11 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता सं0 16/51 की कुल 6.2740है0 में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 2091/6274 हिस्सा व इसी खाता के खाता सं0 101/50 की 8.6062है में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 1687/8602 हिस्सा व रोही चक 3 डीपीएन के खाता सं0 16/97 की 4.1494है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा व रोही चक 4 डीपीएन के खाता सं0 113/105 की 3.2890है0 में किरता पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा व रोही चक 5 बीएचडी के खाता सं0 70/52 की कुल 3.1630है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम किरताराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर पर अशुद्ध नाम किरता पुत्र

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हेमा, किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमा दर्ज है। अतः प्रार्थी का अशुद्ध नाम किरता पुत्र हेमा, किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमा के स्थान पर पर प्रार्थी का सही नाम किरताराम पुत्र हेमाराम दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थी अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा रोही मौजा चक 4 वारानी के खाता सं0 16/51 की कुल 6.2740है0 में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 2091/6274 हिस्सा में किरताराम पुत्र हेमराज के स्थान पर किरताराम पुत्र हेमाराम व रोही चक 4 वारानी के खाता सं0 101/50 की 8.6062है में किरताराम पुत्र हेमराज के नाम 1687/8602 हिस्सा में किरताराम पुत्र हेमराज के स्थान पर किरताराम पुत्र हेमाराम व रोही चक 3 डीपीएन के खाता सं0 16/97 की 4.1494है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा में किरताराम पुत्र हेमा के स्थान पर किरताराम पुत्र हेमाराम व रोही चक 4 डीपीएन के खाता सं0 113/105 की .3.2890है0 में किरता पुत्र हेमा के नाम 1/6 हिस्सा में किरता पुत्र हेमा के स्थान पर किरताराम पुत्र हेमाराम व रोही चक 5 बीएचडी के खाता सं0 70/52 की कुल 3. 1630है0 में किरताराम पुत्र हेमा के नाम 1/3 हिस्सा में में किरताराम पुत्र हेमा के स्थान पर किरताराम पुत्र हेमाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमा, किरता पुत्र हेमा, किरताराम पुत्र हेमा के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमराज, किरताराम पुत्र हेमा, किरता पुत्र हेमा, किरताराम पुत्र हेमा ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ...17/5/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
... अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested